

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
in OA No. 34/2026(CZ)

IN THE MATTER OF:

Letter Petition Sarpanch Gram Panchayat Bamnai Titled Ratapani Tiger Reserve Ke Buffer Zone Mai Vayu Avam Jal Pradushan Felane Wale Innt Bhaton Ko Band Karwane Babat

Dated 14th November, 2025,..... ..

APPLICANT

VERSUS

State of Madhya Pradesh & Ors.

.....RESPONDENT

INDEX

Sr.	PARTICULAR	Annexure	Page No.
1.	Action Taken Report in Original Application No. 34/2026		1
2.	Copy of letter no. 1472 dated 20-05-2026 of Superintendent Ratapani Wildlife Sanctuary Obedullaganj (list of identified brick kiln)	I	2-8
3.	Copy of letter no. 1482 dated 14-07-2026 of Sub Divisional Magistrate, Goharganj District Raisen. (Details of action taken on brick kiln identified by Forest Department)	II	9-51

Place: BHOPAL

FILED BY MPPCB

Date: 15.07.2026

Parul

ADV PARUL BHADORIA
Advocate for MPPCB
Ph.No.:(+91)-8085977111;
Email:parul.bhadoria04@gmail.com

ACTION TAKEN REPORT**Action Taken Report in Original Application No. 34/2026**

That, in reference to OA 34/2026 (CZ), “Letter Petition Sarpanch Gram Panchayat Bamnai Titled “Ratapani Tiger Reserve Ke Buffer Zone Mai Vayu Avam Jal Pradushan Flane Wale Innt Bhaton ko band Karwane Babat Dated 14th November, 2025” Suo Moto Vs State of Madhya Pradesh & Ors Hon’ble NGT issued an order on dated 12.02.2026.

That, a Joint Committee of the representative of District Collector, Raisen, Divisional Forest Officer, Raisen and the State Pollution Control Board was constituted.

That, Joint committee visited the site and submitted the Factual and Action taken report on 14th April 2026 before the Hon’ble NGT.

That, in addition to above report further action have been taken by the Forest Department and the Revenue Department. The details are given as under :-

A. ACTION TAKEN BY FOREST DEPARTMENT

The Office of Superintendent Ratapani Wildlife Sanctuary Obedullaganj vide letter no. 1472 dated 20-05-2026 has submitted the list of identified brick kiln. The copy of the letter is enclosed as **Annexure-1**. The details are as under:-

1. Total 90 persons were identified in this area.
2. Details of Geographical location and operator of identified brick kiln are provided in the list.
3. The identified brick kilns are located on revenue land that in the Buffer zone/Eco-sensitive zone of forest.
4. The identified brick kilns have not obtained permission from Forest Department.
5. Forest Department has written to Tehsildar Goharganj, District-Rasien to stop the operation of kilns.

B. ACTION TAKEN BY REVENUE DEPARTMENT

The Office of Sub Divisional Magistrate, Goharganj District Raisen vide letter no. 1482 dated 14-07-2026 has submitted the details of action taken on brick kiln identified by Forest Department. The copy of the letter is enclosed as **Annexure-2**. As per the information, the Nayab Tehsildar Court Sub-Tehsil Obedullaganj, Tehsil Goharganj District Raisen has issued show cause notice under section 248 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 to operator of identified brick kiln for illegal operation.


(Brajesh Sharma)
Regional Officer & OIC

कार्यालय अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औबेदुल्लागंज

Mobile No- 9424790712, E-Mail : wlsratapani.oganj@mp.gov.in

क्रमांक /
प्रति,

1472

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
प्लॉट नं. 28 सी सेक्टर न्यू औद्योगिक क्षेत्र
मण्डीदीप जिला रायसेन

विषय:

माननीय एनजीटी द्वारा ओए. क्र 34/2006 (सीजेड) के परिपेक्ष्य में ईट भट्टों की
जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :

आपका पत्र क्रमांक/1066/क्षेका/प्रनिबो/2026 मण्डीदीप दिनांक 18.05.26

—00—

विषयान्तर्गत के संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से संचालित ईट भट्टों के संबंध
में निर्धारित प्रारूप पर जानकारी चाही गई थी। जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर संलग्न
प्रेषित है।

संलग्न :

उपरोक्तानुसार



औ. गज. / दिनांक

20/5/26

[Signature]

अधीक्षक

रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य
औबेदुल्लागंज

AK-L

[Signature]
01/6/26

रातापानी अभयारण्य अंतर्गत ईट भट्टा की जानकारी

क्र.	भट्टा स्थल का पूर्ण पता	भट्टे संचालक का नाम एवं पता	विभाग द्वारा प्रदाय अनुमति की जानकारी	भूमि का प्रकार	राजस्व भूमि का प्रकार	संबंधित के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी
				वनभूमि / राजस्व भूमि	ईको सेंसिटिव जोन / बफर जोन / वनविभाग से संबंधित	
1	N-22°57'49" E-77°31'41"	श्री नरेन्द्र सिंह आ० श्री राजबहादुर सिंह निवासी औ०गंज	नहीं	राजस्व भूमि	हाँ	तहसीलदार गौहरगंज को भट्टा संचालन पर रोक लगाने हेतु लेख किया गया।
2	N-22°57'42" E-77°32'7"	श्री नीलेश आ० श्री फूल सिंह प्रजापति निवासी औ०गंज	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
3	N-22°56'49" E-77°32'52"	श्री कुअर सिंह आ० श्री रघुनाथ निवासी गौतमपुर कॉलोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
4	N-22°56'45" E-77°32'51"	श्री संजय आ० श्री ब्रजलाल निवासी गौतमपुर कॉलोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
5	N-22°56'32.0" E-77°32'57.0"	श्री बिब्बी आ० श्री अब्दुल अजीम	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
6	N-22°56'24.0" E-77°32'53.0"	श्री शैलेन्द्र आ० श्री तुलाराम निवासी गौतमपुर कॉलोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
7	N-22°56'26.0" E-77°32'54"	श्री राकेश आ० श्री मूलचन्द्र निवासी गौतमपुर कॉलोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
8	N-22°56'28.0" E-77°32'54.0"	श्री बुद्धू आ० श्री दगडू निवासी गौतमपुर कॉलोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
9	N-22°56'19.0" E-77°32'54.0"	श्री नौशाद आ० श्री शहजाद अली निवासी गौतमपुर कॉलोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
10	N-22°56'46.0" E-77°32'35.0"	श्री मुकेश प्रजापति निवासी औ०गंज	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
11	N-22°55'46.0" E-77°32'33.0"	श्री दीपक आ० श्री चिन्तूलाल प्रजापति निवासी दिवटिया	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
12	N-22°55'42" E-77°32'38"	श्री राजकुमार आ० श्री हिम्मत सिंह निवासी दिवटिया	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"

13	N-22°55'40" E-77°32'37"	श्री शोभाराम आ० श्री नंदराम निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
14	N-22°55'42" E-77°32'33"	श्री आशाराम आ० श्री दुलेसिंह निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
15	N-22°55'42" E-77°32'38"	श्री मुकेश राय निवासी औ०गंज	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
16	N-22°55'40" E-77°32'39"	श्री शंकर निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
17	N-22°55'42" E-77°32'38"	श्री राम सिंह आ० श्री रामूदादा निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
18	N-22°55'42" E-77°32'31"	श्री अनिल आ० श्री शोभाराम निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
19	N-23°03'50" E-77°25'26"	श्री जोशी बारेला	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
20	N-23°03'50" E-77°25'27"	श्री कैलाश सपेरा	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
21	N-23°03'35" E-77°25'21"	श्री इरबान	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
22	N-23°03'26" E-77°25'10"	श्री जोशी बारेला	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
23	N-23°03'24" E-77°25'15"	श्री रहमान मियां	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
24	N-23°03'24" E-77°25'18"	श्री जितेन्द्र प्रजापति	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
25	N-23°03'4" E-77°25'12"	श्री मांगीलाल	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
26	N-23°02'56" E-77°25'27"	श्री नर्वदा	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
27	N-23°02'43" E-77°25'28"	श्री जितेन्द्र प्रजापति	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—
28	N-23°02'33" E-77°25'38"	श्री नंदलाल लौधी	नहीं	राजस्व भूमि	—"—	—"—

29	N-23°02'16" E-77°26'15"	श्री नबाब खान	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
30	N-23°05'9" E-77°24'15"	श्री अजय प्रजापति	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
31	N-22°58'25.65" E-77°32'32.6"	श्री संतोष आ० बाबूलाल निवासी हरई	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
32	N-22°58'29.77" E-77°32'33.40"	श्री मा० नूरमियां आ० मुकद्दर मियां निवासी दीवटिया	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
33	N-22°58'30" E-77°32'33"	श्री इकरीस आ० शरीफ खां निवासी दीवटिया	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
34	N-22°58'50.48" E-77°32'36.09"	श्री सुरेश आ० भोलाराम प्रजापति निवासी हरई	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
35	N-22°58'50.14" E-77°32'36.00"	श्री जीतेन्द्र आ० सूरज निवासी हरई	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
36	N-23°01'30.6" E-77°31'15.9"	श्री सुनील आ० कनीराम निवासी नूरगंज	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
37	N-23°01'30.16" E-77°31'15.4"	श्री महेश आ० वंशीलाल निवासी नूरगंज	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
38	N-23°1'28" E-77°31'15"	श्री ओमप्रकाश आ० हजारीलाल प्रजापति निवासी नूरगंज	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
39	N-23°1'29" E-77°31'10"	श्री कैलाश लोवंशी निवासी नूरगंज	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
40	N-23°1'15" E-77°31'19"	श्री कोसर मियां निवासी नूरगंज	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
41	N-23°01'21.1" E-77°29'29.2"	श्री तारू आ० चौधरी अहमद निवासी दाहोद	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
42	N-23°01'18.4" E-77°29'19.8"	श्री इसरार निवासी दाहोद	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
43	N-22°57'2.44" E- 077°38'33.04"	धीरज सिंह आ० बाबूलाल प्रजापति निवासी बरखेडा	नहीं	राजस्व भूमि	—"	नोटिस जारी किये गये
44	N-22°57'8.40" E- 077°44.12"	रवि यादव आ० सुरत सिंह यादव निवासी बांसकुवार	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
45	N-22°56'54.8" E- 077°38'48.20"	कमलेश आ. चेलाराम निवासी बिनेका	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"

46	N-22'56'55.94"E- 077'38'37.99"	छोटेला आ० कन्हैयालाल निवासी बरखेडा	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
47	N-22'56'55.70"E- 077'38'41.96"	जितेन्द्र आ० जगदीश प्रजापति निवासी बिनेका	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
48	N-22'56'50.41"E- 077'38'41.96"	संजीव कुमार आ० देवचन्द प्रजापति निवासी बिनेका	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
49	N-22'56'50.41"E- 077'38'41.96"	राजकुमार प्रजापति निवासी बिनेका	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
50	N-22'56'43"E- 077'38'55"	भरत प्रजापति निवासी भोपाल	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
51	N-22'56'41"E- 077'38'55"	राजेश आ० पतिराम बरकैरे निवासी आमछा	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
52	N-22'56'43"E- 077'38'55"	जितेन्द्र आ० स्व: चैनराम निवासी बिनेका	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
53	N-22'56'38"E- 077'38'55"	राजूसिंह आ० स्व: सुन्दरलाल राजपूत निवासी औ०गंज	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
54	N-22'56'56.29"E- 077'38'20.03"	खलील खॉ आ० बलदार खॉ निवासी बांसकुवार	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
55	N-22'56'54'29"E- 077'38'20.03"	सुरत सिंह आ० बारेलाल निवासी सिंहपुर	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
56	N-22'55'44"E- 077'39'28"	रामजी आ० गोपाल निवासी पिपलानी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
57	N-22'56'01"E- 077'39'17"	मून्ना आ० पीर खां निवासी पिपलानी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
58	N-22'55'13"E- 077'39'28"	अदनान आ० चांद खां निवासी बरखेडा	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
59	N-22'56'38"E- 077'32'55"	राहुल प्रजापति आ० नन्लाल निवासी ईटखेडी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
60	N-22'56'36"E- 077'33'1"	आकाश आ० रमेश निवासी दिवटिया	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
61	N-22'56'28"E- 077'33'5"	आशाराम आ० दुलेसिंह निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
62	N-22'56'25"E- 077'33'5"	भगवान सिंह आ० नन्हेलाल निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
63	N-22'56'25"E- 077'33'7"	संदीप आ० मनफूल निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"

64	N-22'56'21" E-077'33'8"	नीलेश आ० भूजल निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
65	N-22'56'15" E-077'33'09"	नर्वदाप्रसाद आ० मन्नू निवासी गौतमपुर कोलोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
66	N-22'56'19" E-077'33'6"	समरावति सरन आ० स्व: रमेश निवासी कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
67	N-22'56'17" E-077'32'54"	रंजीत सिंह आ० फूलसिंह निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
68	N-22'56'11" E-077'32'56"	कल्लू प्रजापति आ० फूलसिंह निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
69	N-22'56'8" E-077'33'0"	महेश कुमार जाटव आ० भगवान दास निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
70	N-22'56'4" E-077'36'6"	राजेश प्रजापति निवासी दिवटिया	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
71	N-22'56'8" E-077'33'15"	संतोष प्रजापति निवासी दिवटिया	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
72	N-22'56'11" E-077'33'11"	राजमल आ० हीरालाल निवासी जोन्दरा	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
73	N-22'56'3"E-077'33'12"	जगदीश आ० लक्ष्मन प्रजापति	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
74	N-22'56'1" E-077'33'13"	राधेश्याम आ० भागचन्द निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
75	N-22'56'2" E-077'33'12"	बाबूलाल आ० सुन्दरलाल निवासी आलमपुर	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
76	N-22'55'58" E-077'33'12"	दीपक पाटिल आ० गिरलाल निवासी कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
77	N-22'55'54" E-077'33'9"	प्रदीप आ० पप्पूहि निवासी आलमपुर	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
78	N-22'55'80" E-077'33'8"	कमलेश आ० रतनलाल निवासी गौतमपुर	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
79	N-22'55'49" E-077'33'5"	बद्रीप्रसाद आ० सीतरसिंह निवासी जोन्दरा	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
80	N-22'55'48" E-077'33'9"	सुलतान निवासी दिवटिया	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
81	N-22'55'48" E-077'33'9"	राकेश प्रजापति आ० माकन निवासी औ०गंज	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"

82	N-22'55'49" E- 077'33'12"	पप्पूसिंह आ० निवासी केशलवाडा	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
83	N-22'55'49" E- 077'33'12"	गोलूकहार निवासी दिवटिया	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
84	N-22'55'41" E- 077'33'19"	राहुल प्रजापति आ० कुन्दन निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
85	N-22'55'38" E- 077'33'20"	कमलेश आ० भूजवल निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
86	N-22'55'38" E- 077'33'20"	रंगीलाल आ० विजयराम निवासी जोन्दरा	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
87	N-22'54'49" E- 077'33'17"	पप्पू आ० मौजीलाल निवासी जोन्दरा	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
88	N-22'55'35" E- 077'33'36"	नरेश कुमार पोर्ते आ० रमेश पोर्ते निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
89	N-22'55'41" E- 077'33'33"	राममोहन आ० विषराम प्रसाद निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"
90	N-22'57'6" E- 077'34'11"	द्वारका पटेल आ० कुजीलाल निवासी गौतमपुर कालोनी	नहीं	राजस्व भूमि	—"	—"


 अधीक्षक
 रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य
 औबेदुल्लागंज

65

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गौहरगंज जिला-रायसेन (म0प्र0)

क्रमांक 1482/रीडर/2026

गौहरगंज, दिनांक 14 / 07 / 2026

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मंडीदीप जिला रायसेन।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. 34/2026 के परिपेक्ष्य में ईट भट्टों की जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ :- 1. माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण क्र. 34/2026 में पारित आदेश दिनांक 12/02/2026
2. आपका पत्र क्र. 1067/क्षेका/प्रनिबो/2026 दिनांक 18/05/2026
3. कार्यालय अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभ्यारण्य औबेदुल्लागंज का पत्र क्र. 1472 दिनांक 20/05/2026

-----00-----

उपरोक्त माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण क्र. 34/2026 में पारित आदेश दिनांक 12/02/2026 के परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायत बमनई, वन परिक्षेत्र बरखेड़ा एवं दाहोद वन मंडल औबेदुल्लागंज जिला रायसेन के ग्राम नासीपुर, बमनई, करमई, जौंदरा, कुकाखौ, बीरान में वन विभाग द्वारा चिह्नित ईट भट्टों को तहसीलदार कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन द्वारा अनाधिकृत रूप से संचालित करने के कारण दिनांक 15/04/2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। विवरण संलग्न-1 अनुसार है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

14-07-2026
अनुविभागीय दंडाधिकारी
अनुभाग गौहरगंज

7-42
A-26
P-13
J(a)-1

न्यायालय नायब तहसीलदार 66 औबेदुल्लागंज जिला रायसन म.प्र.

प्रकरण क / अ.68 / 2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 34 रकबा 4.067 भूमि शासकीय मद मे दर्ज है जिसमें से 0.202 हे0 पर अनावेदक राहुल आ0 फुन्दन प्रजापति जाति कुम्हार निवासी गौतमपुर कालोनी के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक / / 2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक / / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील रायसन

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 50 रकबा 22.828 भूमि शासकीय मद मे दर्ज है जिसमें से 0.405 हे0 पर अनावेदक राधेश्याम आ0 भागचन्द जाति चमार निवासी गौतमपुर कालोनी के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप-तहसील औबेदुल्लागंज
औबेदुल्लागंज

न्यायालय नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 6804/अ.68/2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 50 रकबा 22.828 भूमि शासकीय मद मे दर्ज है जिसमें से 0.405 हे0 पर अनावेदक महेश आ. भगवानदास जाति चमार निवासी गौतमपुर कालोनी के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईंट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईंट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 7/2 रकबा 0.527 भूमि शासकीय मद मे दर्ज है जिसमें से 0.101 हे0 पर अनावेदक बिब्बी बी के पुत्र गुड्डू मिया के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।


नायब तहसीलदार
औबेदुल्लागंज
जिला रायसेन म.प्र.

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 39/2 रकबा 8.416 भूमि शासकीय मद मे दर्ज है जिसमें से 0.202 हे0 पर अनावेदक नरेश आ0 रमेश पोर्ते जाति गौंड निवासी जोन्द्रा के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक / /2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक / /2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।


नायब तहसीलदार
औबेदुल्लागंज
जिला रायसेन म.प्र.

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० १९५९ की धारा २४८ के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर १४/१ रकबा १.३३६ भूमि शासकीय मद मे दर्ज है जिसमें से ०.४०५ हे० पर अनावेदक नर्बदा प्रसाद आ० मन्मूलाल प्रजापति जाति कुम्हार निवासी दीवटिया के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक १५/०५/२०२६ को समय प्रातः ११ बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक १२/०५/२०२६ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
औबेदुल्लागंज
जिला रायसेन म.प्र.

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 43/2 रकबा 3.363 भूमि सेवा भूमि मद मे दर्ज है जिसमें से 0.202 हे० पर अनावेदक कमलेश आ० रतनलाल नंदवंशी निवासी औबेदुल्लागंज के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक / / 2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक / / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील औबेदुल्लागंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 34 रकबा 4.067 हे0 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.607 हे0 पर अनावेदक पप्पू आ0 मौजीलाल निवासी जोन्द्रा, रंजीत आ0 फूलचंद निवासी गौतमपुर कालोनी, अनोखी आ0 विजयराम निवासी जोन्द्रा जाति गौंड के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसीलदार औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

न्यायालय नायब तहसीलदार 74 औबेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 8004 / अ.68 / 2026--2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 69 रकबा 5.924 हे० भूमि संतोष आ० गबरू प्रसाद बगैरा के नाम से दर्ज है जिसमें से 0.405 हे० पर अनावेदक अनिकेत आ० रंगीलाल निवासी जोन्द्रा जाति गौंड के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15 / 05 / 2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12 / 05 / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसीलदार औबेदुल्लागंज
तहसील गौहगंज

प्रकरण क ८८५ / अ.68 / 2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 34 रकबा 4.067 हे0 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.607 हे0 पर अनावेदक पप्पू आ0 मौजीलाल निवासी जोन्द्रा, रंजीत आ0 फूलचंद निवासी गौतमपुर कालोनी, अनोखी आ0 विजयराम निवासी जोन्द्रा जाति गौंड के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 25 रकबा 2.950 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.202 हे० पर अनावेदक अशोक आ० लालाराम के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15 / 05 / 2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12 / 05 / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
औबेदुल्लागंज
तहसील रायसेन

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 25 रकबा 2.950 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.202 हे0 पर अनावेदक अशोक आ0 लालाराम के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करें कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसीलदार औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुरे कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 62/1 रकबा 1.779 हे0 भूमि द्वारका प्रसाद आ0 शिवनारायण जाति बढई के नाम से दर्ज है जिसमें से 0.607 हे0 पर अनावेदक राकेश आ0 माखन सिंह प्रजापति निवासी दिवटिया जाति कुम्हार, हरिसिंह आ0 कन्छेदी प्रजापति निवासी दिवटिया जाति कुम्हार, रमेश आ0 कन्छेदी प्रजापति निवासी दीवटिया जाति कुम्हार के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गोहरगंज

न्यायालय नायब तहसीलदार 79 बेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 1004/अ.68/2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 62/1 रकबा 1.779 हे0 भूमि द्वारका प्रसाद आ0 शिवनारायण जाति बढई के नाम से दर्ज है जिसमें से 0.607 हे0 पर अनावेदक राकेश आ0 माखन सिंह प्रजापति निवासी दिवटिया जाति कुम्हार, हरिसिंह आ0 कन्छेदी प्रजापति निवासी दिवटिया जाति कुम्हार, रमेश आ0 कन्छेदी प्रजापति निवासी दीवटिया जाति कुम्हार के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार ओबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील ओबेदुल्लागंज
रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 5004/अ.68/2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 क अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 62/1 रकबा 1.779 हे0 भूमि द्वारका प्रसाद आ0 शिवनारायण जाति बढई के नाम से दर्ज है जिसमें से 0.607 हे0 पर अनावेदक राकेश आ0 माखन सिंह प्रजापति निवासी दिवटिया जाति कुम्हार, हरिसिंह आ0 कन्छेदी प्रजापति निवासी दिवटिया जाति कुम्हार, रमेश आ0 कन्छेदी प्रजापति निवासी दीवटिया जाति कुम्हार के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 11/1 रकबा 1.335 हे0 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.405 हे0 पर अनावेदक राहुल आ0 श्री माखन सिंह के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करें कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गोहरगंज

प्रकरण क 8004/अ.68/2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 12/4 रकबा 1.498 हे0 भूमि शासकीय मद मे दर्ज है जिसमें से 0.405 हे0 पर अनावेदक कृष्णा आ0 रमेश प्रजापति निवासी दिवटिया, जितेन्द्र प्रजापति निवासी दीवटिया, फुलसिंह आ0 जीवनलाल प्रजापति निवासी दीवटिया जाति कुम्हार के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
औबेदुल्लागंज
तहसील रायसेन

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 12/4 रकबा 1.498 हे0 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.405 हे0 पर अनावेदक मनफूल आ0 रामप्रसाद निवासी गौतमपुर कालोनी जाति गौंड के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार ओबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील दुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०स० १९५९ की धारा २४८ के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर २९ रकबा १५.३७८ भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से ०.४०५ हे० पर अनावेदक आशाराम आ० दुलेसिंह निवासी गौतमपुर कालोनी जाति अनुसूचित जाति के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईंट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईंट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक १५/०५/२०२६ को समय प्रातः ११ बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करें कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक १२/०५/२०२६ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

न्यायालय नायब तहसीलदार 85 औबेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 204/अ.68/2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 19 रकबा 0.202 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.202 हे0 पर अनावेदक अजय लोझानिया आ0 कैलाश निवासी गौतमपुर कालोनी के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईंट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईंट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करें कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 67 रकबा 3.015 भूमि गोपीलाल, गोपाल आ0 छोटेलाल के नाम से दर्ज है जिसमें से 0.607 हे0 पर अनावेदक राजू साहू आ0 गुलाब सिंह निवासी करमई जाति तेली के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार ओबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12 /05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
ओबेदुल्लागंज
उप तहसील ओबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

न्यायालय नायब तहसीलदार 87 औबेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 804 / अ.68 / 2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम कोका खोह स्थित भूमि खसरा नंबर 1/2 रकबा 3.035 हे0 भूमि बद्रीप्रसाद आ0 छीतर के नाम से दर्ज है जिसमें से 0.809 हे0 पर अनावेदक बद्रीप्रसाद आ0 छीतर निवासी जोन्द्रा जाति अनुसूचित जाति के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

न्यायालय नायब तहसीलदार 88 बेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 8804/अ.68/2026-2027

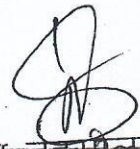
॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 34 रकबा 4.067 हे0 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.607 हे0 पर अनावेदक पप्पू आ0 मौजीलाल निवासी जोन्द्रा, रंजीत आ0 फूलचंद निवासी गौतमपुर कालोनी, अनोखी आ0 विजयराम निवासी जोन्द्रा जाति गौंड के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार ओबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील बेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 21 रकबा 1.660 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.202 हे0 पर अनावेदक सोनू आ0 चुन्नीलाल नागर निवासी दिवटिया जाति धाकड के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

न्यायालय नायब तहसीलदार 90 औबेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 0004/अ.68/2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर 21 रकबा 1.660 भूमि शासकीय मद मे दर्ज है जिसमें से 0.202 है0 पर अनावेदक सोनू आ0 चुन्नीलाल नागर निवासी दिवटिया जाति धाकड के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
औबेदुल्लागंज
जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 0004 / अ.68 / 2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ मओप्रओ भूओ राओसंओ 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर 37 रकबा 5.339 हे० भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.202 हे० पर अनावेदक मुकेश प्रजापति आ० श्यामलाल निवासी औबेदुल्लागंज के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील मोहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर 37 रकबा 5.339 हे0 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.202 हे0 पर अनावेदक मुकेश प्रजापति आ0 श्यामलाल निवासी औबेदुल्लागंज के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12 /05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

न्यायालय नायब तहसीलदार 93 औबेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 104 / अ.68 / 2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर 37 रकबा 5.339 हे0 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.809 हे0 पर अनावेदक कुवंर सिंह कामले आ0 रघुनाथ कामले निवासी गौतमपुर कालोनी अनुसूचित जाति के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० १९५९ की धारा २४८ के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर ३७ रकबा ५.३३९ हे० भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से ०.८०९ हे० पर अनावेदक कुवंर सिंह कामले आ० रघुनाथ कामले निवासी गौतमपुर कालोनी अनुसूचित जाति के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक १५/०५/२०२६ को समय प्रातः ११ बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक १२/०५/२०२६ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसीलदार औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर 37 रकबा 5.339 हे0 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.809 हे0 पर अनावेदक सुल्तान मिया आ. लालजी निवासी दीवटिया जाति मुस्लिम के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० १९५९ की धारा २४८ के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर ३७ रकबा ५.३३९ हे० भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से ०.८०९ हे० पर अनावेदक सुल्तान मिया आ. लालजी निवासी दीवटिया जाति मुस्लिम के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईंट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईंट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक १५/०५/२०२६ को समय प्रातः ११ बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक १२/०५/२०२६ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गोहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर 38 रकबा 2.979 हे० भूमि काबिल कास्त में दर्ज है जिसमें से 0.809 हे० पर अनावेदक राजकुमार आ. हिम्मत सिंह प्रजापति निवासी दीवटिया जाति कुम्हार के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गोहरगंज

प्रकरण. फ ७८४/ अ.६६/ २०२६-२०२७

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० १९५९ की धारा २४८ के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम गौतमपुर कालोनी स्थित भूमि खसरा नंबर ४३/२ रकबा ३.३६३ हे० भूमि कोटवार महेश सेवा भूमि मद में दर्ज है जिसमें से ०.०१० हे० पर अनावेदक नीलेश आ० भुजमल निवासी गौतमपुर कालोनी जाति गौंड, राजमल आ० हीरालाल निवासी जोन्द्रा जाति अनुसूचित विनोद आ० छोटेलाल निवासी गौतमपुर कालोनी जाति कोरकू महेश आ० दशरथ निवासी जोन्द्रा जाति अनुसूचित के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक १५/०५/२०२६ को समय प्रातः ११ बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक १२/०५/२०२६ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
औबेदुल्लागंज

प्रकरण क ६२०५ / अ.६८ / २०२६-२०२७

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० १९५९ की धारा २४८ के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर ३७ रकबा ५.३३९ हे० भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से ०.२०२ हे० पर अनावेदक अजय कुशवाह आ. शंकर निवासी गौतमपुर जाति काछी के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईंट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईंट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक १५/०५/२०२६ को समय प्रातः ११ बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक १२/०५/२०२६ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज



न्यायालय नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क 0004/अ.68/2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर 37 रकबा 5.339 हे0 भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.202 हे0 पर अनावेदक सीताराम आ. बहादुरी निवासी आलमपुर (समनापुर) जाति खैरवान अनुसूचित जनजाति के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गोहरगंज

न्यायालय नायब तहसीलदार ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क ०००५/अ.68/2026-2027

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर 37 रकबा 5.339 हे० भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 0.202 हे० पर अनावेदक रतिराम आ. नंदराम निवासी आलमपुर (समनापुर) जाति खैरवान अनुसूचित जनजाति के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार ओबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
उप तहसील ओबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० १९५९ की धारा २४८ के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा नंबर ३७ रकबा ५.३३९ हे० भूमि शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से ०.६०७ हे० पर अनावेदक मुकेश राय आ० दशरथ राय निवासी औबेदुल्लागंज जाति कलार के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक १५/०५/२०२६ को समय प्रातः ११ बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक १२/०५/२०२६ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

न्यायालय नायब तहसीलदार ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.

प्रकरण क०००४ / अ.६८ / २०२६-२०२७

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म०प्र० भू० रा०सं० १९५९ की धारा २४८ के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम बमनई स्थित भूमि खसरा नंबर ७४/१ रकबा ३.३४२ हे० भूमि सिररी बाई पुत्री चुन्नीलाल के नाम से दर्ज है जिसमें से ०.४०५ हे० पर अनावेदक विजय सिंह आ. राजाराम निवासी बमनई के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईंट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईंट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक १५/०५/२०२६ को समय प्रातः ११ बजे स्थान नायब तहसीलदार ओबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक १२/०५/२०२६ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील ओबेदुल्लागंज
जिला रायसेन म.प्र.

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम बमनई स्थित भूमि खसरा नंबर 74/1 रकबा 3.342 हे0 भूमि सिररी बाई पुत्री चुन्नीलाल के नाम से दर्ज है जिसमें से 0.405 हे0 पर अनावेदक पप्पू आ0 पतिराम निवासी बमनई जाति कोरकू के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईंट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईंट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गोहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम बमनई स्थित भूमि खसरा नंबर 74/1 रकबा 3.342 हे0 भूमि सिररी बाई पुत्री चुन्नीलाल के नाम से दर्ज है जिसमें से 0.405 हे0 पर अनावेदक विकास आ0 चरनलाल निवासी बमनई जाति गौंड के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12 /05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म.प्र. भू. रा.सं. 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम नासीपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 3/2 रकबा 5.018 हे० भूमि बैलपारदी पता कृषि सामूहिक समिति मया० शासकीय संस्था के नाम से दर्ज है जिसमें से 0.809 हे० पर अनावेदक संजय प्रजापति आ० बाबूलाल निवासी दीवटिया के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईंट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईंट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
उप तहसील औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज

॥ कारण बताओ नोटिस ॥

॥ म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत ॥

हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम नासीपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 3/2 रकबा 5.018 हे0 भूमि बैलपारदी पता कृषि सामूहिक समिति मया0 शासकीय संस्था के नाम से दर्ज है जिसमें से 0.809 हे0 पर अनावेदक संजय प्रजापति आ0 बाबूलाल निवासी दीवटिया के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से बिना शासकीय अनुमति के ईट भट्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौका स्थल पर अभी अनावेदक द्वारा ईट बनाई जा रही है।

अतएव आप नियत दिनांक 15/05/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थान नायब तहसीलदार औबेदुल्लागंज पर उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करे कि उक्त आरोप में आपको भूमि से बेदखल किया जाकर दण्डित क्यों न किया जाये उपस्थित न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



नायब तहसीलदार
उप तहसीलदार
तहसील गौहरगंज